राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ईमेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/19/5442–633 दिनांक :–28/02/19

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:– **Standard Operating Procedures(SOPs) for Segregation at Source.**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना हेतु आपको पूर्व में निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है।

निकायों में घर–घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था चल रही है, परन्तु कचरे के स्त्रोत पर पृथ्थकीकरण पूर्ण रूप से नही हो पा रहा है। कचरे के स्त्रोत पर पृथ्थकीकरण व्यवस्था को प्रत्येक निकाय को प्रभावी रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाना है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार कचरे को निम्नानुसार पृथक किया जाना है :–

1. गीला कचरा (Bio Degradable Wastes)
2. सुखा कचरा (Non-Bio Degradable Wastes)
   (i) पुनः चक्रित कचरा (Recyclable Wastes)
   (ii) पुनः चक्रित नहीं होने वाला कचरा (Non-Recyclable Wastes)
   (iii) सेनिटरी वेस्ट (Sanitary Wastes)
   (iv) डोमेस्टिक इर्नट वेस्ट (Domestic Inert Wastes)
   (v) डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट (Domestic Hazardous Wastes)
   (vi) कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट (Construction and Demolition Wastes)

ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रोसेसिंग हेतु कचरे का स्त्रोत पर शतप्रतिशत (100%) पृथ्थकीकरण किया जाना आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी निकायों को अपने–अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान (Awareness Campaign) चलाये जाकर सभी कचरा उत्पन्न करने वालों को जागरूक करना होगा, कि कचरे को कचरे के स्त्रोत पर ही पृथ्थकीकरण किया जावें। कचरे के पृथ्थकीकरण व्यवस्था में 4R (i) Reduce, (ii) Reuse, (iii) Recover and (iv) Recycle का सिधान्त अपनाना होगा। इस प्रकार किये गये प्रयासों से कचरे को "Minimize" किया जा सकता है, जिससे निकायों पर कचरे के परिवहन में हो रहे खर्चे में कमी की जा सकेगी।

सामान्यतया गीला कचरे से (Bio Degradable Wastes) कम्पोस्ट बायोगैस उत्पन्न की जावे तथा सुखे कचरे (Non-Bio Degradable Wastes) जो ज्वलनशील है, से RDF व Waste to Energy Plant में प्रयोग लाया जावें।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक Waste Generator के कर्तव्य निर्धारित है, जिस हेतु पूर्व में आपको निर्देशित किया जा चुका है। प्रमुख्यतया निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान दिया जावें :–

1. Segregation and store the waste.
2. Wrap securely the used sanitary waste.
3. Store separately construction and demolition waste.
4. Store Horticulture waste and garden waste.
5. No littering and no burn or bray.

कचरे को कचरे के स्त्रोत पर ही पृथ्थक किया जाकर Reuse, Recycle, Composting, Energy recovery and Treatment & disposal किया जावें। घर–घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को ओर प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रत्येक घर–घर में हरा एवं नीला डस्टबिन में कचरे को एकत्रित किया जाने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना है। जिसमें निम्नानुसार कचरे को अलग–अलग किया जावे :–

- **हरे डस्ट बिन में :–**
  - (i) Kitchen Wastes.
  - (ii) Garden and leaf /flowers.
  - (iii) Soiled Papers.
  - (iv) House dust after cleaning.
  - (v) Coconut shells.
  - (vi) Ashes.
- **नीले डस्ट बिन में :–**
  - (i) Paper/Cardboard/Cartons.
  - (ii) Glass.
  - (iii) Metal.
  - (iv) Plastic.
  - (v) Leather.
  - (vi) Rexene.
  - (vii) Rubber.
  - (viii) Wood/Furniture.
  - (ix) Packaging/Compound Packaging.

शत प्रतिशत घरो से कचरे को पृथक–पृथक इक्ट्ठा करने में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार जनजागरण अभियान चलाया जाकर Waste Generators को प्रेरित किया जावें।

1. Extensive Multimedia Campaign :-
   - (i) Paper/Cardboard/Cartons.
   - (ii) Colony wise announcement on auto/rickshaw.
   - (iii) Involvement of Brand Ambassadors and Local Celebrities.
   - (iv) Involvement of Swachhagarhi his with conversion of DAY-NULM.
   - (iv) Hording/Unipol/pole bundies.
2. Planning meeting with all Stakeholders :-
   - (i) RWAs.
   - (ii) School/Colleges.
   - (iii) Commercial Establishment.
   - (iv) Hospitals.
   - (v) Vendor Associations.
   - (vi) Market Associations.
3. Involvement of religious leaders.
4. NGOs, SHGs.

घरों में Segregated Waste को निकाय द्वारा पृथक–पृथक Compartment वाले वाहनों से एकत्रित कर उसको प्रोसेसिंग किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इस हेतु निकाय निम्नानुसार कार्यवाही/व्यवस्था करावें।

1. घर–घर कचरा संग्रहण में लगे स्टाफ को प्रशिक्षित कर इस हेतु प्रेरित करना कि कचरे का घर–घर पृथकीकरण ही महत्वपूर्ण नही है, पृथक किये गये कचरे को पृथक–पृथक परिवहन भी करना है जिससे पृथक किया गया कचरा आवस में मिल न सकें।
2. निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस हेतु प्रेरित करना कि कचरे में बेहत्तर प्रबन्धन में अपना–अपना योगदान देवे। इस हेतु IEC, Awareness Campaigns, Surprise Inspection इत्यादि के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।
3. Lead by Example.
4. Procurement of Vehicles (twin compartment), composting machines etc.
5. "कम्पोस्ट बनाओ, कम्पोस्ट अपनाओं" के सिधान्त को अपनाना।
6. Reg pickers/kabadiwalas को प्रोत्साहित कर उनको इस कार्य हेतु लगाना।
7. SBM, DAY-NULM Conversion के माध्यम से DAY-NULM के Resources को निकाय स्तर पर उपयोग करते हुये Source Segregation and Material Recovery Facility (MRF) पर कचरे की छटनी करने हेतु लगा कर कार्य करवाया जाना।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि Standard Operating Procedures (SoPs) of Segregation at Source के अनुसार "100% Door to door collection, Segregation at source एवं Transportation of Segregated waste separately" के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति कर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/19/5634–681 दिनांक :–28/02/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव